प्रेस नोट, जनपद फतेहपुर
दिनांक 29.11.2025

थाना गाजीपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम मोहम्मदपुर में पत्नी द्वारा प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी, बहनोई व भाई के साथ मिलकर पति की हत्या की घटना का सफल करते हुये घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से दराती बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अनूप कुमार सिंह के निर्देशन में थाना गाजीपुर पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 279/2025 धारा 103(1) बी.एन.एस का सफल अनावरण करते हुये अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्तगण को थाना गाजीपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.11.2025 को ग्राम मोहम्मदपुर से समय करीब 12.45 बजे अभियुक्तगण 1-.संग्राम सिंह पुत्र स्व0 रामगुलाम सिंह उम्र करीब 53 वर्ष निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपु, 2. मान सिंह पुत्र भोले उम्र करीब 38 वर्ष निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर, 3.सुनीता पत्नी स्व0 बाबूलाल उम्र करीब 45 वर्ष निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर, 4. नीरज पुत्र कामता प्रसाद उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सरकंडी थाना असोथर जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार एवं गिफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर दराती बरामद की गयी। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना कां संक्षिप्त विवरण – दिनांक 19.11.2025 को ग्राम मोहम्मदपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर में गांव से करीब 300 मीटर पूर्व रामकिशोर के खेत में स्थित कटहल के पेड़ के नीचे मृतक बाबूलाल पुत्र स्व0 सुन्दरलाल रैदास निवासी ग्राम संवत थाना खागा जनपद फतेहपुर हाल पता ग्राम मोहम्मदपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 40 वर्ष का शव जिसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुये थे। खेत में पड़ा मिला था। शव का नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया जिसके आधार पर थाना गाजीपुर पर मु0अ0सं0 279/2025 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पताः—

1-.संग्राम सिंह पुत्र स्व0 रामगुलाम सिंह उम्र करीब 53 वर्ष निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।
2. मान सिंह पुत्र भोले उम्र करीब 38 वर्ष निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।
3.सुनीता पत्नी स्व0 बाबूलाल उम्र करीब 45 वर्ष निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।
4. नीरज पुत्र कामता प्रसाद उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सरकंडी थाना असोथर जनपद फतेहपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक, समय –

ग्राम मोहम्मदपुर बहद ग्राम मोहम्मदपुर व दिनांक 29.11.2025, 12.45

महत्वपूर्ण तथ्यः-

1. मृतक बाबूलाल उपरोक्त की पत्नी का प्रेम प्रसंग संग्राम सिंह (मृतक संग्राम सिंह की खेती बाड़ी देखता था) से पिछले लगभग 15 वर्षों से चल रहा था, जिसका मृतक बाबूलाल उपरोक्त द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था एवं अपनी पत्नी को मारता पीटता था।
2. मृतक बाबूलाल घटना स्थल पर अपने साढ़ू मान सिंह व पत्नी सुनीता व साले नीरज के साथ पहले से ही मौजूद था, उसके पश्चात संग्राम सिंह जिसकी खेती वाड़ी बाबूलाल देखा करता था बाद में पहुंचा।
3. मृतक के साढ़ू मान सिंह व साले नीरज एवं संग्राम सिंह ने मृतक बाबूलाल को अत्यधिक शराब पिलाने के उपरांत मृतक के ही गमछे से गले में फंदा डाल कर हत्या कर दी गयी तदोपरांत मृतक के गमछे को दराती से काट कर दो भाग करके आत्महत्या का रूप देने के उद्देश्य से एक भाग कटहल के पेड़ में डाल कर लटका दिया, तथा गमछे के किनारों से उसके हाथ बांध कर नीचे जमीन पर खेत में छोड़ कर चले गये थे।
4. मृतक की पत्नी द्वारा अपने भाई नीरज एवं मृतक के साढ़ू मान सिंह व संग्राम सिंह के सहयोग से मिलकर मृतक की हत्या कर, मृतक को फांसी लगाकर आत्महत्या का रूप दिया गया।
5. मृतक द्वारा अपने साढ़ू की पुत्री को गोद लिया गया था, दोनों के मध्य अनबन होने के उपरांत मृतक द्वारा गोद ली गयी पुत्री को अपनी संपत्ति में से कोई भी भाग न दिये जाने की बात लगातार कही जा रही थी।

बरामदगी-

एक अदद दराती

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री हनुमान प्रताप सिंह थानाध्यक्ष थाना गाजीपुर
2. व0उ0नि श्री हरिनाथ सिंह
3. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार मौर्य
4. उ0नि0 श्री हेमन्त
5. कां0 ललित मिश्रा
6. कां0 कुन्दन यादव
7. कां0 विक्रम सिंह
8. म0का0 सीता सिसौदिया

सोशल मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर